

राजस्थान सरकार
वन विभाग

क्रमांक: प. 3(9)वन/2025

जयपुर, दिनांक:- - 4 AUG 2025

अधिसूचना

वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 (1972 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 53) की धारा 36क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये राज्य सरकार एतद्वारा स्थानीय समुदायों के साथ परामर्श करने के पश्चात कोटपूतली-बहरोड जिले की तहसील पावटा व सीकर जिले की तहसील श्रीमाधोपुर में स्थित वनखण्ड बुचारा मैन की रक्षित वन भूमि, जिसका विवरण नीचे दी गई अनुसूची-I एवं सीमाओं का विवरण अनुसूची-II के अनुसार है, को पारिस्थितिकीय एवं प्राणी जातीय, वनस्पतीय, भू-संरचना, संबंधित नैसर्गिक एवं प्राणी शास्त्रीय महत्व को ध्यान में रखते हुए संरक्षण आरक्षिति घोषित करती है, जिसे भविष्य में बुचारा मैन संरक्षण आरक्षिति के नाम से जाना जावेगा ।

अनुसूची-I

क्र.सं.	जिला	तहसील	ग्राम पंचायत	वन खण्ड का नाम	क्षेत्रफल (हेक्टर)	भूमि का वर्गीकरण
1.	कोटपूतली-बहरोड	पावटा	टसकोला	बुचारा मैन	49.385	रक्षित वन
		पावटा	भोनावास	बुचारा मैन	581.609	रक्षित वन
		पावटा	फतेहपुरा (खुर्द)	बुचारा मैन	99.087	रक्षित वन
					509.839	रक्षित वन
		पावटा	टोरडा गुजरान	बुचारा मैन	228.981	रक्षित वन
		पावटा	बुचारा	बुचारा मैन	2905.200	रक्षित वन
2.	सीकर	श्रीमाधोपुर	जुगलपुरा	बुचारा मैन	63.820	रक्षित वन
योग:-					4437.921 है.	

अनुसूची-II

- उत्तरी सीमा :** रक्षित वनखण्ड बुचारा मैन की उत्तरी सीमा (अधिकतम वनखण्ड बुचारा मैन के कम्पार्टमेन्ट संख्या 1 की उत्तरी सीमा)
- दक्षिणी सीमा :** रक्षित वनखण्ड बुचारा मैन की दक्षिणी सीमा (अधिकतम वनखण्ड बुचारा मैन के कम्पार्टमेन्ट संख्या 5 की दक्षिणी सीमा)
- पूर्वी सीमा :** रक्षित वनखण्ड बुचारा मैन की पूर्वी सीमा (अधिकतम वनखण्ड बुचारा मैन के कम्पार्टमेन्ट संख्या 4 की पूर्वी सीमा)
- पश्चिमी सीमा :** रक्षित वनखण्ड बुचारा मैन की पश्चिमी सीमा (अधिकतम वनखण्ड बुचारा मैन पार्ट सीकर का ग्राम जुगलपुरा की पश्चिमी सीमा)

राज्यपाल की आज्ञा से,

(बीजा जॉय)

विशिष्ट शासन सचिव

प्रतिलिपि :- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सचिव, महामहिम राज्यपाल, राजस्थान, जयपुर।
2. प्रमुख शासन सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
3. समस्त निजी सचिव/मंत्रीगण/राज्य मंत्रीगण, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
5. समस्त अति. मुख्य सचिव/समस्त प्रमुख शासन सचिव/समस्त शासन सचिव, राजस्थान, जयपुर।
6. पुलिस महानिदेशक, राजस्थान, जयपुर।
7. सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर।
8. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख) राजस्थान, जयपुर।
9. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, राजस्थान जयपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि उक्त अधिसूचना को माध्यम से REAMS के माध्यम से ई-गजट में प्रकाशित करवाने का कष्ट करे।
10. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कार्य आयोजना एवं वन बन्दोबस्त, राजस्थान जयपुर।
11. संभागीय आयुक्त, जयपुर।
12. संभागीय मुख्य वन संरक्षक, जयपुर।
13. जिला कलक्टर, कोटपूतली-बहरोड/सीकर/जयपुर।
14. उप वन संरक्षक, जयपुर(उत्तर)।
15. उप वन संरक्षक, सीकर।
16. संसदीय कार्य विभाग।
17. गार्ड पत्रावली।

विशिष्ट शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ प्रेषित है:-

1. सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड़, नई दिल्ली।
2. महानिरीक्षक, वन (वन्य जीव), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड़, नई दिल्ली।
3. निदेशक भारतीय वन्य जीव संस्थान, पोस्ट बॉक्स नं. 18 चन्द्रबनी, देहरादून।

विशिष्ट शासन सचिव